

राजस्व अपील संख्या 118/2017 नवजीवन गृह निर्माण सहाकारी समिति बनाम
नगरपालिका बालोतरा वगैराह

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0एल0 कोठारी, आई.ए.एस

90 ए राजस्व अपील संख्या 118/2017

<u>अपीलान्टस</u>	बनाम	<u>रेस्पोडेन्टस</u>
नवजीवन गृह निर्माण सहाकारी समिति लिमिटेड, जसोल द्वारा उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र श्रीमाली व हनुमान चंद पुत्र चन्दन मल जैन निवासीगण- वार्ड नं. 10, बालोतरा, जिला बाडमेर।		1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद, बालोतरा 2. नगर परिषद, बालोतरा, जरिये अधिशाषी अधिकारी। 3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 90 ए (9) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 198/2012 में दिनांक 10.01.2013 एवं संशोधन आदेश दिनांक 7.4.2017 ग्राम मांजीवाला के भूमि0 ख0सं0 743 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा तथा ख0सं0 648, 649 मी, 650/1 ग्राम जसोल के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर नगरपरिषद के व्ययनाधीन रखने का निर्णय पारित किया।

उपस्थिति:---

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री एम0एस0 पुरोहित, अधिवक्ता, रेस्पो.सं 1,2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो. सं 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक सितम्बर, 2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 198/2012 में दिनांक 10.01.2013 एवं संशोधन आदेश दिनांक 7.4.2017 जो कि अन्तर्गत धारा 90-क (9) राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध दिनांक 16.6.2017 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील संख्या 118/2017 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम
नगरपालिका बालोतरा वगैराह

अपीलान्ट की ओर से अपील के संलग्न परिसीमा अधिनियम, 1964 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड एवं रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. हमने पक्षकारान के अभिभाषकों द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जसोल के उपाध्यक्ष व सदस्य है तथा यह अपील समिति की ओर से उसके हित में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
4. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जसोल की नवसृजित ग्राम मांजीवाला में रूपान्तरित भूमि ख.न. 743 रकबा 78 बीघा 8 बिस्वा बालोतरा-सिवाणा सडक के पास लगती आयी हुई है। जिसको समिति के सदस्यों के लिये समिति के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कृषि भूमि का आवासीय या वाणिज्यिक कार्यों हेतु रूपान्तरण) नियम 1971 के तहत आवेदन किया, जिसको प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने ग्रामीण क्षेत्र भूमि रूपान्तरण प्रकरण संख्या 1/89 उपरोक्त ख0सं0 743 के लिये दर्ज करते हुए जांच करवाने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 25.07.1989 के द्वारा भूमि को नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क एवं विकास शुल्क लेकर गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश दिया गया।
5. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रकरण संख्या 1/90 में जसोल के ख.न. 648, 649, 650/1 आदेश दिनांक 5.3.1990 के द्वारा भूमि को नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क एवं विकास शुल्क लेकर गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश दिया गया। तथा उपरोक्त खसरान भूमि को समिति द्वारा प्रस्तुत आवासीय योजना के नक्शे के अनुसार कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय में रूपान्तरित करके सनद जारी कर दी जिसकी पालना मे राजस्व रेकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर की भूमि की किश्त कृषि

राजस्व अपील संख्या 118/2017 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम
नगरपालिका बालोतरा वगैराह

से आवासीय में परिवर्तन गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दी। तब से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में समिति के नाम से आज दिन तक दर्ज है। जिसमें आवासीय योजना अनुसार नियोजित रूप से समिति के सदस्यों भूखण्ड कटे हुये हैं। तथा समिति व समिति के सदस्यों का कब्जा है।

6. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि भूमि ख.न. 743 ग्राम मांजीवाला तथा ग्राम जसोल की ख.न. 648, 649, 650/1 कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा अपीलार्थी समिति की मालिकाना हक की खातेदारी व कब्जे की है। राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी समिति के नाम से आवासीय में दर्ज है। तथा इस समिति के सदस्य काबिज है।
7. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने यानि नगर परिषद, बालोतरा ने उपरोक्त वर्णित भूमि ख.न. 743 ग्राम मांजीवाला तथा ख.न. 648, 649, 650/1 कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा ग्राम जसोल जो कि अपीलार्थी समिति की मालिकाना स्वामित्व की है, अपीलार्थी समिति को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अपीलार्थी समिति के मालिकाना अधिकारों पर कुठाराघात करके सुओ-मोटो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2013 के जरिये अपीलार्थी समिति के मालिकाना अधिकार अकारण समाप्त किये जाने का आदेश दे दिया। तत्पश्चात दिनांक 7.4.2017 को संशोधन आदेश भी बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी समिति प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद, बालोतरा के संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2013 तथा 07.04.2017 तथा से व्यथित होकर यह अपील निम्न अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं।
8. प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलान्ट की ओर से अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना उचित रहेगा। मियाद प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी समिति ने विद्वान प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बालोतरा के संशोधित आदेश दिनांक 7.4.2017 व आदेश दिनांक 10.1.2013 अपीलार्थी समिति की गैर हाजरी में एकतरफा पारित किया गया है जिसकी तामिल अपीलार्थी सकित से नहीं करवाई जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई। उक्त

राजस्व अपील संख्या 118/2017 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम
नगरपालिका बालोतरा वगैराह

आदेशों की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.6.2017 को अपीलार्थी को समिति की खातेदारी भूमि की खतौनी नकल की आवश्यकता होने से पटवारी हल्का मांझीवाला के पास नकल लेने हेतु जाने पर पटवारी हल्का द्वारा समिति की खातेदारी आवासीय भूमि को नगरपरिषद बालोतरा के नाम नामान्तरकरण करने के लिये आदेश आने की बात बताने पर हुई। तब अपीलार्थी समिति ने दिनांक 2.6.2017 को उज्जएतराज तहसीलदार पचपदरा के समक्ष लिखित में पेश कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही स्थगित करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके बाद दिनांक 3-4.6.17 को अवकाश होने से दिनांक 5.6.2017 को पता कर अपीलाधीन आदेश की नकल लेने के लिये आवेदन किया जिस पर अपीलार्थी आदेश की नकल तैयार करवाकर दिनांक 14.6.2017 को नकल प्राप्त की। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.6.2017 को सर्वप्रथम हुई। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में कोई देरी जानबूझकर नहीं की है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

9. प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेन्टस संख्या एक व दो के योग्य अभिभाषक के यह कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, वह पूर्णतया असत्य एवं आधारहीन अंकित किये गये हैं। उनके द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न तो लिखित में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं और न ही ऐसे कोई दस्तोवजों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई हैं जिससे यह उजागर होता हो कि अपीलार्थी समिति को दिनांक 14.6.2017 को ही अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई हो। इसके अतिरिक्त किस कार्य हेतु उन्हें उक्त खसरान की खतौनी की प्रति लेने के आवश्यकता हुई और अपीलाधीन आदेश की पालना को रोकने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष क्या स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है, ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अपीलार्थी का मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1964 को अस्वीकार किया जावे तथा अपीलार्थी की अपील को इसी स्तर पर निर्णित करते हुए खारिज किया जावे।
10. हमने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र पर दोनों अभिभाषकों के द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील संख्या 118/2017 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम
नगरपालिका बालोतरा वगैराह

में जो तथ्य अंकित किये गये है उनकी पुष्टि/प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उनकी ओर से ऐसे कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता के कथनों को असत्य ठहराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2013 की जानकारी इतने समय तक नहीं होने के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई पुख्ता प्रमाणिक तथ्य नहीं दर्शाये गये है। ऐसे में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित नहीं होगा और इसी स्तर पर अपील को अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक .09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर